



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 15.07.2024

**“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा पीडित के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने वाले 02 आरोपी अभियुक्तों को 03-3 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 12,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।**

### **कार्यवाही:-**

अवगत कराना है कि दिनांक 02.06.2017 को वादी श्री रुप सिंह पुत्र हरनाम सिंह निवासी ग्राम हरिसिंह का भोगला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण सलमान उर्फ नटिया पुत्र महेंदी हसन व नईम पुत्र इलियास उर्फ सप्पड निवासीगण ग्राम शादीपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर आदि के द्वारा वादी के भाई राजेन्द्र के साथ मारपीट की गई, जिससे वादी का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। इस संबंध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 123/17 धारा 323/342/504/506 भादवि व 3(1)(10) एससी/एसटी0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 15.07.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल जज/एससी0एसटी0 एक्ट जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 123/17 धारा 323/325 भादवि व 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट के आरोपी अभियुक्तगण 1- सलमान उर्फ नटिया पुत्र महेंदी हसन 2- नईम पुत्र इलियास उर्फ सप्पड निवासीगण ग्राम शादीपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 12,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

### **दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-**

- 1- सलमान उर्फ नटिया पुत्र महेंदी हसन निवासी ग्राम शादीपुर थाना नगीना देहात बिजनौर।
- 2- नईम पुत्र इलियास उर्फ सप्पड निवासीगण ग्राम शादीपुर थाना नगीना देहात बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ़

दिनांक – 15.07.2024

**थाना अफजलगढ़ पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

**कार्यवाही –**

आज दिनांक 15.07.2024 को थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तगण 1.मुकेश पुत्र खूब सिंह निवासी ग्राम उधोवाला थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर व 2.नाजिम पुत्र सौकत अली निवासी ग्राम जिक्रीवाला थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –**

- 1.मुकेश पुत्र खूब सिंह निवासी ग्राम उधोवाला थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
- 2.नाजिम पुत्र सौकत अली निवासी ग्राम जिक्रीवाला थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

- 1.उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
- 2.का0 2106 सुरेश कुमार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नहतौर

दिनांक- 15.07.2024

**थाना नहतौर पुलिस ने टॉप 10 अपराधी सहित 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही –

आज दिनांक 15.07.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तगण

1. इरफान उर्फ डॉन पुत्र जलील निवासीग्राम सदरुद्दीनगर थाना नहतौर जनपद बिजनौर व 2. वकिल पुत्र शिफते हसन निवासी ग्राम बेरमाबाद गढी थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है । अभियुक्त इरफान उर्फ डॉन थाना नहतौर का टॉप 10 अपराधी है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. इरफान उर्फ डॉन पुत्र जलील निवासी ग्राम सदरुद्दीनगर थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. वकिल पुत्र शिफते हसन निवासी ग्राम बेरमाबाद गढी थाना नहतौर जनपद बिजनौर



### अभियुक्त इरफान उर्फ डॉन का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 60/92 धारा 392 भादवि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर
2. मु0अ0स0 60/92 धारा 394 भादवि0 थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0स0 92/92 धारा 147/148/149/307 भादवि0 थाना नहतौर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0स0 286/92 धारा 395/397 भादवि0 थाना नहतौर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0स0 292/92 धारा 394 भादवि0 थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0स0 32/2010 धारा 395/412 भादवि0 थाना केशव पुर दिल्ली
7. मु0अ0स0 260/14 धारा 457/380 भादवि0 थाना दिल्ली
8. मु0अ0स0 394/2009 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना नहतौर जनपद बिजनौर
9. मु0अ0स0 01/2017 धारा 307 भादवि0 थाना नहतौर जनपद बिजनौर

### अभियुक्त वकील का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 303/2018 धारा 380/411 भादवि0 थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0स0 354/2018 धारा 380/411 भादवि0 थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0स0 77/2020 धारा 379/411 भादवि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4. मु0अ0स0 140/2021 धारा 379 भादवि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
5. मु0अ0स0 141/2021 धारा 379 भादवि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
6. मु0अ0स0 149/2021 धारा 458/380 भादवि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
7. मु0अ0स0 151/2021 धारा 379/411 भादवि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
8. मु0अ0स0 195/2021 धारा 31) गैगस्टर अधि0 थाना नहतौर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री सरताज खां थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री शेखर सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. हे0का0 131 शरद पंवार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
4. हे0का0 496 नरेश पुनिया थाना नहतौर जनपद बिजनौर
5. हे0का0 359 रवि शंकर थाना नहतौर जनपद बिजनौर
6. का0 731 रोहित कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ

दिनांक – 15.07.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 229/2024 धारा 74/137(2)/115(2)/352  
बी0एन0एस0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.07.2024 को वादिनी द्वारा थाना अफजलगढ पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण इसरायल पुत्र जाबिर 2.इरफान 3.शमशाद व 4.इरशाद पुत्रगण कलवा निवासीगण ग्राम रसूलपुर आबाद थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत की गयी तथा वादिनी व वादिनी के देवर के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी । इस संबंध में थाना अफजलगढ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही –

आज दिनांक 15.07.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इसरायल पुत्र जाबिर निवासी ग्राम रसूलपुर आबाद थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इसरायल पुत्र जाबिर निवासी ग्राम रसूलपुर आबाद थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 मनोज सिंह थाना थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
2. का0 127 अरुण कुमार थाना थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ़

दिनांक – 15.07.2024

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने मु0अ0सं0 228/24 धारा 191(2)/191(3)/109/117(2)/  
131/333/351(2)/351(3)/3(5)/103 बी0एन0एस0 में वांछित 02 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त डंडे  
सहित किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.07.2024 को वादिनी श्रीमती परमजीत कौर पत्नी हरि सिंह निवासी ग्राम भिक्कावाला चौराहा थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर द्वारा थाना अफजलगढ़ पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1-मक्खन सिंह 2-गोपी सिंह 3-गगनदीप सिंह पुत्रगण बलविन्दर सिंह 4-गुल्लू 5-गौरी पुत्रगण रमेश 6-मधु पत्नी अर्जुन 7-धर्मवीरी निवासीगण ग्राम इस्लामनगर उर्फ कालागढ़ थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के घर में घुसकर परिजनों के उपर लाठी डंडो से जान से मारने की नियत से हमला किया गया, जिसमें वादिनी के पति हरि सिंह और बेटे गुरप्रीत सिंह व देवर सतनाम को गंभीर चोट आई। तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ़ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 04.07.2024 को उपचार के दौरान वादिनी के पति हरि सिंह उपरोक्त की मृत्यु हो गई। विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियोग में धारा 103 बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.मक्खन सिंह 2.गोपी सिंह 3.गगनदीप सिंह 4.धर्मवीरी व 5.मधु को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।



### कार्यवाही –

आज दिनांक 15.07.2024 को थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.हरिशंकर उर्फ गौरी पुत्र रमेश 2.सुनील उर्फ गुल्लू पुत्र रमेश निवासीगण हेडी बस्ती कालागढ़ थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.हरिशंकर उर्फ गौरी पुत्र रमेश निवासी हेडी बस्ती कालागढ़ थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
- 2.सुनील उर्फ गुल्लू पुत्र रमेश निवासी हेडी बस्ती कालागढ़ थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

### बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त डंडा

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.थानाध्यक्ष श्री पुष्कर मेहरा थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
- 2.व0उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1022 श्याम कुमार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
- 4.कां0 2134 नितिन कुमार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर



## जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना थाना अफजलगढ

दिनांक – 15.07.2024

**थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 229/2024 धारा 74/137(2)/115(2)/352 बीएनएस0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.07.2024 को वादिनी द्वारा थाना अफजलगढ पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण इसरायल पुत्र जाबिर 2. इरफान 3. शमशाद 4. इरशाद पुत्रगण कलवा निवासीगण ग्राम रसूलपुर आबाद थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत की गयी तथा वादिनी व वादिनी के देवर के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी । इस संबंध में थाना अफजलगढ पर पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही –

आज दिनांक 15.07.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इसरायल पुत्र जाबिर निवासी ग्राम रसूलपुर आबाद थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है । विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इसरायल पुत्र जाबिर निवासी ग्राम रसूलपुर आबाद थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 मनोज सिंह थाना थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
2. का0 127 अरुण कुमार थाना थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



## जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 15.07.2024

**थाना कोतवाली शहर पुलिस ने 02 अभियुक्तों चोरी की गयी मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही का विवरण –

आज दिनांक 15.07.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान ग्राम रावली रोड पर 02 अभियुक्तगण 1.अमित कुमार पुत्र राम सिंह व 2.अभिषेक पुत्र धर्म सिंह निवासीगण ग्राम बाखरपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को चोरी की गयी फर्जी नंबर प्लेट (UP12AF6378) लगी मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया । उक्त मोटर साइकिल का सही रजि० नं० UP20BB5034 पाया गया । उक्त मोटरसाइकिल चोरी के सम्बंध में थाना स्योहारा पर मु०अ०सं० 268/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत है । अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु०अ०सं० 652/2024 धारा 411/414/465 भादवि बनाम अमित आदि उपरोक्त कुल 02 नफर पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- 1.अमित कुमार पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम बाखरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
- 2.अभिषेक पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम बाखरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

### बरामदगी–

चोरी की गयी स्पलेन्डर मोटरसाइकिल

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ०नि० दीपक कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.कां० 1410 रवि अंतिल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.कां० 2422 प्रमोद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढापुर

दिनांक – 15.07.2024

**थाना बढापुर पुलिस ने गौवध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.07.2024 को थाना बढापुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान थाना बढापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इनायतपुर के जंगल में एक इनोवा गाडी (DL3CBD2866) से 02 क्विंटल 20 किलोग्राम गौवंशीय मांस व पशु काटने के उपकरण बरामद किये गए । गाडी चालक व गाडी में मौजूद अन्य लोग मौका पाकर फरार हो गये थे । इस संबंध में थाना बढापुर पर गोवध अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया ।



दिनांक 09.07.2024 को स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.राहुल 2.सचिन व 3.ब्रजपाल समस्त निवासीगण ग्राम इनायतपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

### कार्यवाही –

आज दिनांक 15.07.2024 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त गुलाम मुस्तफा पुत्र नन्हे निवासी ग्राम गुलडिया थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

अभियुक्त गुलाम मुस्तफा से पूछताछ के दौरान उक्त घटना में 02 अन्य अभियुक्तगण 1.अतहर हाजी व 2.तंजीम निवासीगण ढकिया थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद का नाम भी प्रकाश में आया, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गुलाम मुस्तफा पुत्र नन्हे निवासी ग्राम गुलडिया थाना मुढापाण्डे जनपद मुरादाबाद

### अभियुक्त गुलाम मुस्तफा का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 88/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद

2.मु0अ0सं0 138/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बढापुर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री राजवीर सिंह थाना बढापुर जनपद बिजनौर

3.मुख्य आरक्षी 648 दीपक कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर

4.कां0 2454 अरविन्द थाना बढापुर जनपद बिजनौर